

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक-नि.वि.-2/पेंशन अधिवर्षता से0नि0/03/ 863

दिनांक- 26-07-2019

### कार्यालय आदेश

निम्नलिखित खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी शासकीय सेवा से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त अपने नाम के सम्मुख लिखित तिथि से सेवा निवृत्त होंगे।

क्रमसंख्या	व्यक्तिगत संख्या	नाम	पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	944	कुलदीप कुमार श्रीवास्तव	ख.ले.-1	21-8-1960	31-8-2020
2	851	महेश प्रसाद वर्मा	ख.ले.-1	10-10-1960	31-10-2020
3	763	सुनील कुमार शर्मा	व.ख.ले.	1-11-1960	31-10-2020
4	432	पी.के.एम. त्रिपाठी	व.ख.ले.	12-12-1960	31-12-2020
5	979	महेश कुमार	ख.ले.-1	01-01-1961	31-12-2020
6	1028	अनिल कुमार शर्मा	ख.ले.-1	17-9-1961	30-9-2021
7	945	तमीम अहमद	ख.ले.-1	15-7-1962	31-7-2022

1. संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी /अधिशासी अभियन्ताओ /कार्य अधीक्षकों आदि से अपेक्षा की जाती है कि उनके खण्ड / कार्यालय मे नियुक्त खंडीय लेखाकार / लेखाधिकारी की सेवा पुस्तिका मे अंकित जन्म तिथि को सम्यक रूप से जांच करके देख लें और यदि उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई खंडीय लेखाधिकारी माह अगस्त -2020 से जुलाई 2022 तक 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर रहा हो तो इसकी सूचना पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. उपरोक्त सूची मे वर्णित नाम का खंडीय लेखाधिकारी यदि उनके खण्ड कार्यालय मे नियुक्त है तो उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि का मिलान सूची में अंकित जन्म तिथि से कर लें यदि कोई अन्तर प्रकाश में आये तो उनकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

3. सेवा निवृत्त होने वाले खंडीय लेखाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा भेजे जायेंगे जिसे सेवा पुस्तिका सहित 3 प्रतियों में वांछित विवरण भरकर इस कार्यालय को भेजना आवश्यक है ।
4. सेवा निवृत्त खंडीय लेखाधिकारियों से सेवा का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर समय से कर लिया जाये तथा पेंशन प्रकरण सेवा निवृत्त से 6 माह पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये । प्रकरण बिलम्ब से अथवा अपूर्ण भेजने पर सेवानिवृत्तिक लाभों के निस्तारण में बिलम्ब होगा ।
5. किसी भी स्थिति में अवकाश नगदीकरण, अनन्तिम पेंशन, उपादान का भुगतान इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना न किया जाये ।
6. सेवा निवृत्त के दिन खंडीय लेखाधिकारियों से इस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की ब्यवस्था करें ।

- 52 -  
उपमहालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक-नि.वि.-2/पेंशन अधिवर्षता/03/864-865

दिनांक-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री .....वरि. खंडीय लेखाधिकारी / खंडीय लेखाधिकारी .....को इस आशय से प्रेषित कि अपना पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर सेवा निवृत्त के छः माह पूर्व इस कार्यालय तीन प्रतियों में अधिशासी अभियन्ता के माध्यम भेजें ।
2. अधिशासी अभियन्ता / कार्य अधीक्षक .....को इस आशय से प्रेषित कि माह 8/2020 से 7/2022 तक 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले खंडीय लेखाकारों / खंडीय लेखाधिकारियों की सूची जन्म तिथि सहित इस कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ।

  
लेखाधिकारी/नि.वि.-2